

### समवर्ती लेखा परीक्षक (सनदी लेखाकार फर्म – CAFIRM/सेवानिवृत्त अधिकारियों – RBA) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित दिनांक 06.11.2023

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, इन्दौर समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति मानदंडों के आधार पर बैंक शाखाओं के समवर्ती लेखा परीक्षक पदों के लिए पात्र/योग्य फर्म/व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित करता है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति संलग्न निर्धारित फार्म में पूर्ण रूप से भरे आवेदन इस प्रकार प्रेषित करें कि निम्नलिखित पते/ई-मेल पते पर दिनांक 18.11.2023 तक अनिवार्यतः प्राप्त हो जावें, दिनांक 18.11.2023 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा :-

सनदी लेखाकार फर्म (CAFIRM) हेतु						
क	पदनाम	रिक्तियों की गणना	पात्रता –रु 50.00 करोड़ से अधिक मिश्र व्यवसाय वाली शाखाओं के लिये	पात्रता –रु 50.00 करोड़ से कम मिश्र व्यवसाय वाली शाखाओं के लिये	कार्य का वर्णन/ जिम्मेदारी	अवधि / पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	समवर्ती लेखा परीक्षक Concurrent Auditor	अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष की अंकेक्षण योजना के अनुसार आवश्यकता का आकलन किया जाएगा तथा बैंक की लेखा समिति उन शाखाओं का निर्धारण करेगी जिनमें समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए अनुबंधित किया जाना है। बैंक द्वारा रिक्तियों का सृजन समय-समय पर आकलित आवश्यकता के आधार पर किया जावेगा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>सनदी लेखाकार की पार्टनरशिप फर्म होना चाहिये।</li> <li>फर्म कम से कम 6 वर्षों से कार्यरत हों, जिसे कम से कम दो वर्ष का कमशिर्यल/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुभव हो</li> <li>फर्म के किसी एक पार्टनर को 2 वर्ष का समवर्ती लेखा परीक्षा का अनुभव हों।</li> <li>फर्म में कम से कम तीन पार्टनर होना चाहिये जिनमें से कोई एक पार्टनर का एफसीए होना आवश्यक है</li> <li>फर्म में कम से कम 5 प्रोफेशनल सदस्य होना चाहियें।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सनदी लेखाकार की पार्टनरशिप फर्म होना चाहिये।</li> <li>फर्म कम से कम 5 वर्षों से कार्यरत हों, जिसे कम से कम दो वर्ष का कमशिर्यल/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुभव हो।</li> <li>फर्म के किसी एक पार्टनर को 2 वर्ष का समवर्ती लेखा परीक्षा का अनुभव हों।</li> <li>फर्म में कम से कम दो पार्टनर होना चाहिये जिनमें से कोई एक पार्टनर का एफसीए होना आवश्यक है</li> <li>फर्म में कम से कम 3 प्रोफेशनल सदस्य होना चाहियें।</li> </ol> <p><b>अथवा,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सनदी लेखाकार प्रोपायटरशिप फर्म होना चाहिये।</li> </ol>	चयनित शाखाओं में अनुबंध अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा (Concurrent Audit)	<p>अनुबंध केवल 01 वर्ष के लिए किया जावेगा, जिसे अधिकतम 03 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एक वर्ष संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने वाले फर्म को आगामी वर्ष के लिए अनुबंध आगामी 01 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। नियुक्त की गई फर्म के तीन वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष का कूलिंग समय रहेगा।</p> <p>समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति पर पारिश्रमिक का भुगतान बैंक नियमानुसार किया जावेगा।</p> <p>सनदी लेखाकार की बाहरी फर्मों और बैंक से सेवा निवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति एवं लेखा परीक्षकों की संख्या के चयन पर पारिश्रमिक का भुगतान शाखाओं के अग्रिम व्यवसाय के आधार पर तय किया जावेगा :-</p> <p>1) ऐसी शाखाएँ जिनका अग्रिम व्यवसाय रुपये 25 करोड़ से अधिक है राशि 10000/- (दस</p>





				2. फर्म के पास कम से कम दो प्रोफेशनल सदस्य अवश्य हों एवं प्रोपायटर को एफसीए का मेम्बर होना आवश्यक हैं।	हजार रुपये) प्रति शाखा प्रति माह प्रस्तावित हैं। 2) ऐसी शाखायें जिनका अग्रिम व्यवसाय रुपये 25 करोड़ या उससे कम है राशि 7500/- (सात हजार पाँच सौ रुपये) प्रति शाखा प्रति माह प्रस्तावित हैं। 3) ट्रेजरी/निधि प्रबंधन का काम देखने वाले और निवेश पोर्टफोलियो का काम करने वाले प्रधान कार्यालय के विभाग हेतु राशि 10000/- (दस हजार रुपये) प्रति विभाग प्रति माह प्रस्तावित हैं। समवर्ती लेखा परीक्षको को तय पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का यात्रा किराया एवं भत्ता देय नहीं होगा।
2	नियुक्त की गई फर्म को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षा के लिये सबकान्ट्रेक्ट दे सकें।				
3	समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु फर्म, कम्पनी एक्ट 1956 धारा 226 के अन्तर्गत पात्र होना चाहिये				
4	जहां कही भी सनदी लेखाकार फर्मों का समुह कार्यरत हो एवं कॉमन पार्टनर हो ऐसी स्थिति में किसी एक फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया जायेगा।				
5	ऐसी फर्म जिसे बैंक द्वारा सांविधिक अंकेक्षण हेतु नियुक्त किया गया हो वह फर्म अथवा उसकी सिस्टर फर्म, समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु चालू एवं अगले वित्त वर्ष के लिये नियुक्त नहीं की जा सकती हैं।				
6	सांविधिक लेखा परीक्षक की फर्म अथवा उसके पार्टनर/प्रोपायटर के विरुद्ध धारा 21 के अन्तर्गत कोई कदाचरण की कोई कार्यवाही की गई/लंबित नहीं होना चाहिये। संबंधित फर्म से इस आशय का घोषणा पत्र लेना चाहिये।				





## सेवानिवृत्त अधिकारियों (RBA) हेतु


क्र.	पदनाम	रिक्तियों की गणना	पात्रता	कार्य का वर्णन/जिम्मेदारी	अवधि /पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	समवर्ती लेखा परीक्षक Retired Bank Auditor (RBA)	अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष की अंकेक्षण योजना के अनुसार आवश्यकता का आकलन किया जाएगा तथा बैंक की लेखा समिति उन शाखाओं का निर्धारण करेगी जिनमें बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए अनुबंधित किया जाना है। बैंक द्वारा रिक्तियों का सृजन समय-समय पर आकलित आवश्यकता के आधार पर किया जावेगा।	<p>a. बैंक से अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त व्यक्ति</p> <p>b. सेवानिवृत्ति के समय स्केल II से स्केल IV के रूप में पदस्थ हो</p> <p>c. प्रथम सूचीकरण के समय उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो</p> <p>d. सेवाकाल के दौरान उक्त अधिकारी को कोई Major शास्ति न दी गई हो</p> <p>e. अधिकारी को एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेल का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए तथा उनके पास स्वयं का लेपटाप होना चाहिए।</p> <p>f. अधिकारी के पास निम्न में से किसी एक या अधिक क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए:-</p> <p>i. साख विभाग में लगभग 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव</p> <p>ii. शाखा प्रबंधक के रूप में 05 वर्ष का अनुभव</p> <p>iii फील्ड आडिटर के रूप में लगभग 03 वर्ष का अनुभव</p>	<p>1. चयनित शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा <b>Concurrent Audit</b></p> <p>2. समवर्ती लेखा परीक्षा के अलावा बैंक शाखा का अन्य आवश्यक /महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न किया जाना होगा।</p>	<p>अनुबंध केवल 01 वर्ष के लिए की जावेगी, जिसे अधिकतम 03 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एक वर्ष संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने वाले अधिकारी को आगामी वर्ष के लिए पुनः आवेदन करना होगा। उक्त प्रकार से प्राप्त आवेदनों में से ऊपर वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित अधिकारियों का अनुबंध आगामी 01 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।</p> <p>समवर्ती लेखा परीक्षको (सेवानिवृत्त अधिकारियों) को अधिकतम 02 शाखाएँ आवंटित की जा सकती हैं।</p> <p>बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति पर पारिश्रमिक का भुगतान बैंक नियमानुसार किया जावेगा</p> <p>सनदी लेखाकार की बाहरी फर्मों और बैंक से सेवा निवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति एवं लेखा परीक्षकों की संख्या के चयन पर पारिश्रमिक का भुगतान शाखाओं के अग्रिम व्यवसाय के आधार पर तय किया जावेगा :-</p> <p>1) ऐसी शाखाएँ जिनका अग्रिम व्यवसाय रुपये 25 करोड़ से अधिक है राशि 10000/- (दस हजार रुपये) प्रति शाखा प्रति माह प्रस्तावित हैं।</p> <p>2) ऐसी शाखाएँ जिनका अग्रिम व्यवसाय रुपये 25 करोड़ या उससे कम है राशि 7500/- (सात हजार पाँच सौ रुपये) प्रति शाखा प्रति माह प्रस्तावित हैं।</p> <p>3) ट्रेजरी/निधि प्रबंधन का काम देखने वाले और निवेश पोर्टफोलियो का काम करने वाले प्रधान कार्यालय के विभाग हेतु राशि 10000/- (दस हजार रुपये) प्रति विभाग प्रति माह प्रस्तावित हैं।</p> <p>2. समवर्ती लेखा परीक्षको (सेवानिवृत्त अधिकारियों) को उक्त फीस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का यात्रा किराया एवं भत्ता देय नहीं होगा।</p>





कृपया नोट करें :- कि पात्रता मानदण्डों, एवं पात्र शाखाओं से फर्म के ऑफिस/शाखा की निकटता के आधार पर उपलब्ध कुल शाखाओं हेतु सी.ए.फर्म/चयनित सेवानिवृत्त स्टॉफ द्वारा समवर्ती लेख परीक्षण हेतु शाखाओं का आबंटन किया जावेगा, उपरोक्त पद पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे एवं नियुक्त समवर्ती लेखा परीक्षको को कार्य विस्तार उनके कार्य की समीक्षा के आधार पर निश्चित अंतराल पर दी जावेगी। नियुक्ति बैंक के नियम एवं शर्तों के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र हमारी वेबसाईट ([www.mpgb.co.in](http://www.mpgb.co.in)) से प्राप्त किए जा सकते हैं पूर्ण रूप से भरे आवेदन हमारे प्रधान कार्यालय इन्दौर के पते पर या ई-मेल [ho.audit@mpgb-rrb.com](mailto:ho.audit@mpgb-rrb.com) पर दिनांक 18.11.2023 तक जमा किए जा सकते हैं। (सेवानिवृत्त अधिकारियों /RBA – प्रारम्भिक जांच के बाद उपयुक्त पाए गए आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय में बुलाया जाएगा।) कृपया नोट करें कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक:- 06.11.2023

  
महाप्रबन्धक





**Engagement of Concurrent Auditor to Madhya Pradesh Gramin Bank for Concurrent Audit Work**

**BIO-DATA CUM APPLICATION FORMAT**

The application should be accompanied with latest address proof, Copy of PAN Card, Copy of ICAI Registration.

SL	Particulars	Details
1	Name of the Firm	
2	Constitution	
3	RBI Unique code & Category	
4	Address of Firm (HO)	
5	Address of Firm (Communication)	
6	Branches (District Name)	
7	Prefer District (M.P Only for Concurrent Audit)	
8	E-mail ID	
9	Contact Person & Number	
10	Date of formation / Establishment	
11	Registration No. of Firm –FRN (Copy to be enclosed)	
12	PAN No firm (Copy to be enclosed)	
13	Name & Mobile no. of FCA Partner	
14	Name & Mobile no. of Experienced Partners	
15	Manpower (Professionals Nos.)	
16	Past Experience of the Firms details (Statutory Audit & Concurrent Audit) <b>Copy to be Enclosed</b>	
17	Particulars of Partners	
18	Others may Enclosed	Partners ICAI Membership Certificate Detail Profile of Firm

With Enclosure

Authorized  
Seal & Signature





**Engagement of Retired Officials of Madhya Pradesh Gramin Bank for Concurrent  
Audit Work**

**BIO-DATA CUM APPLICATION FORMAT**

The application should be accompanied with latest address proof, PAN Card copy, Copy of Pension Pass Book, Self-attested by the applicant

Photo

S.No.	PARTICULARS	DETAILS
01	NAME OF THE APPLICANT	
02	EMP NO.	
03	PRESENT ADDRESS OF THE APPLICANT	
04	LANDLINE NO/S (WITH STD CODE) AND MOBILE NO/S	
05	E-MAIL ADDRESS	
06	DATE OF BIRTH	
07	AGE AS ON DATE (MONTH / YEARS)	
08	QUALIFICATION ACADEMIC	
09	QUALIFICATION PROFESSIONAL	
10	ANY OTHER QUALIFICATION	
11	DATE OF PROMOTION TO OFFICERS CADRE	
12	DATE OF SUPERANNUATION, VOLUNTARY RETIREMENT	
13	NAME OF THE BRANCH / OFFICE & Region LAST WORKED	
14	ACCOUNT NUMBER WITH IFSC DETAILS	
15	TOTAL SERVICE (IN YEARS)	
16	DESIGNATION AT THE TIME OF RETIREMENT	
17	BRANCH EXPERIENCE (IN YEARS)	
18	EXPERIENCE AS BRANCH HEAD IF ANY (IN YEARS)	
19	WORKING EXPERIENCE IN CHARGE OF CREDIT DEPARTMENT IN A BRANCH IF ANY (IN YEARS)	Branch – No. of Years –
20	WORKING EXPERIENCE AS IN CHARGE OF CREDIT DEPARTMENT IN RO/HO/ IF ANY (IN YEARS)	RO/HO/ Designation – No. of Years –
21	WORKING EXPERIENCE AS IN INSPECTION DEPARTMENT IN BANK IF ANY (IN YEARS) FIELD/ADMINISTRATION	
22	WHETHER SUFFERING FROM ANY MAJOR ALMENT OR HAS UNDERGONE ANY MAJOR SURGERY	
23	WHETHER ANY MINOR / MAJOR PENALTY	
24	PROCEEDING WERE INITIATED DURING 5 YEARS PRIOR TO RETIREMENT. (Y/N)	
25	WHETHER INVOLVED IN ANY CBI CASES, IF YES, DETAILS THEREOF.	





S.No.	PARTICULARS	DETAILS																																			
26	PREFERENCE OF BRANCHES	BASE BRANCH/ HEAD QUARTERS : ADDITIONAL PREFERENCE 1. 2. 3.																																			
27	PLACE OF DOMICILE																																				
28	DETAILS OF LAST FIVE POSTINGS	<table border="1"> <tr> <td>Name of Office</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Designation -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Period :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>From -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>To -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name of Office							Designation -							Period :							From -							To -						
Name of Office																																					
Designation -																																					
Period :																																					
From -																																					
To -																																					

I confirm that the details/information furnished above are / is true and correct. In case, any of the details furnished above is found to be incorrect at a later date. The Bank has right to terminate the assignment given, without giving any notice.

Place :  
Date :

Signature of the applicant

For Office Use

